न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,देसूरी,जिला पाली, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी– पूना राम गोदारा,आर जे एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या– 79/2026 (सी.आई.एस.नंबर 79/2026)

हेमसिंह उर्फ हेमा पुत्र देवीसिंह, आयु 22 वर्ष निवासी तलाई खेडा छापली, जिला– राजसमंद, राजस्थान – प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक देसूरी, जिला पाली राजस्थान

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

बाबत एफ.आई. आर. संख्या 31/2026 पुलिस थाना खिंवाडा, पाली

अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 140(3), 117(2) व 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार व नारायण सिंह, विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण सिंह सोलंकी –विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश:

दिनांक 13.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 480 भानासुसं, 2023 के तहत प्रस्तु जमानत प्रार्थना पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी, जिला पाली के द्वारा दिनांक 25.05.2026 को अस्वीकार कर दिया गया जिसके पश्चात धारा 483 भानासुसं, 2023 के तहत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश हुआ। प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

02. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध बिल्कुल ही झूठा व निराधार मुकदमा किया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमें में वर्णित किसी भी गवाहान को टेम्परविथ नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध रेकर्ड पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है, जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त दृष्टया दोषी माना जावे। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगेगा तथा प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से वे अपनी पैरवी से महरूम रह जाएगा। प्रार्थी/अभियुक्त युवा व नौजवान व्यक्ति है एवं परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त के जेल में रहने से जेल जीवन का प्रार्थी एवं उसके परिवार पर बुरा प्रभाव पडेगा तथा उसके परिवार वाले भूखे मर जाएंगे, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायहित में जमानत पर रिहा किया जावे। बाद जमानत प्रार्थी/अभियुक्त के कहीं पर भाग कर जाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीमान

न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतू तैयार एवं तत्पर है एवं श्रीमान न्यायालय के आदेश की पालना करेगा। आदि कथन करते हुये अंततः जमानत का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

03. इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता के आधार पर उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20–02–2026 को मजरूब श्री गणेशसिंह पुत्र श्री भानसिंह जाति रावत, आयु 52 वर्ष, निवासी सांभरिया, पुलिस थाना खिंवाडा द्वारा पुलिस चौकी कोट सोलंकियान, पुलिस थाना खिंवाडा, जिला पाली पर पर्चा बयान इस मजमून के किए कि "मैं अनपढ़ हूं, हस्ताक्षर करना जानता हूं, मेरी पत्नी का पुष्पा देवी है एवं मेरे दो पुत्र है जिनके नाम चन्दन सिंह व इन्दसिंह है तथा दो लड़किया है जिनके नाम कंचन व सीमा है। मेरी दोनों पुत्रियां शादीशुदा है व दोनों पुत्र कुंवारे है। मैं कमठा पर मजदूरी करता हूं तथा आसपास के गांवों में मजदूरी करता हूं। आज सुबह हमेशा की भांति में मेरी मोटरसाइकिल लेकर वक्त करीब 8.30 एएम पर मेरे घर से मजदूरी पर माताजी गुडा गांव में हरिसिंह पुत्र खुमानसिंह राजपूत निवासी माताजी गुडा के वहां पर काम पर गया था, जिनके मकान का काम चल रहा है, जहां पर मैंने वजारामजी संत, मांगीलाल मेघवाल व घीसाराम मेघवाल के साथ कमठा पर काम किया तथा शाम को काम से छुटटी होने के बाद मैं मेरी मोटरसाइकिल पर मेरे घर के लिए रवाना हुआ तथा नयागांव होते हुए करीब 6.00 बजे के आसपास दरला चौराहा (भेड बकरी छापाखाना) के पास पहुंचा जहां एक सफेद रंग की कार खड़ी थी, जिसका मुंह कोट रोड की ओर था जहां गाडी वालों ने मुझे बोला कि गैराज कहां है, तो मैंने बोला कि ईधर ही है। इतने में मुझे चार जवान उम्र के व्यक्ति जिनके पैंट व शर्ट पहने हुए थे ने मुझे पकड लिया और मेरे उपर बैठ गए तथा मुंह दबा दिया व जबरदस्ती कार में डाल दिया तथा उनकी कार में डालकर लेकर गए तथा मुझे कहा कि तुमने कानियाना गांव में लडाई की है इसलिए तूझे सजा दे रहे है तथा मेरे साथ गाडी में थापा–मुक्कों से मारपीट की एवं बाद में मुझे एक जगह रास्तों में जंगल में ले जाकर गाडी से नीचे उतार दिया व मेरे साथ मारपीट की तथा मुझे मरा हुआ समझकर वहां से चले गए, उसके बाद मैं करीबन एक किलोमीटर पैदल चलकर एक होटल पर गया तथा एक टक में बैठकर श्रवणसिंह की होटल पर आया व मैंने पुरीजी मेवी वाले व जीतूसिंह मेवी वालों को फोन किया व पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस भी मौके पर आ गई तथा मुझे जोजावर अस्पताल लेकर आए तथा मेरा इलाज करवाया।'' इत्यादि––– पर पुलिस थाना खिंवाड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2026 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 140(3), व 3(5) भा.न्या.सं. में दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त हेमसिंह उर्फ हेमा पर अपराध अन्तर्गत 115(2), 126(2), 140(3), 117(2) व 189(2) भा.न्या.सं. बनना मानकर दिनांक 12.05.2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भिजवाया गया। हस्तगत प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है। उक्त प्रार्थी / अभियुक्त हेमसिंह उर्फ हेमा के विरुद्ध पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

06. उपयुक्त परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त हेमसिंह उर्फ हेमा दिनांक 12.05.2026 से अभिरक्षा में

है। अनुसंधानकर्ता ने उन्हें अपराध अंतर्गत धारा **115(2), 126(2), 140(3), 117(2) व 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023** के अपराध में गिरफ्तार किया है। इस स्टेज पर विद्वान अधिवक्ता मुलजिम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिये गये तर्कों के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी को झूठा करार नहीं दिया जा सकता है परंतु धारा 483 भानासुसं के प्रावधान अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी अभियुक्त को उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित विधि से यह स्पष्ट है कि कारावास अपवाद है तथा जमानत नियम है। **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) 10 SCC 51** में भी सामान्य परिस्थितियों में जमानत दिए जाने के पक्ष में ही विधि प्रतिवादित की गई है। अभियुक्त से अभिरक्षाधीन अन्वेषण शेष नहीं दर्शाया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। विचारण में उचित समय लगना स्वाभाविक है। अभियुक्त हेमसिंह उर्फ हेमा के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण नहीं हैं। अभियुक्त करीब 32 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में हैं जिसके कारण आपराधिक विधि के निवारक प्रयोजन की भी पूर्ति हो चुकी है। अनुसंधान व विचारण में युक्तियुक्त समय लगना स्वाभाविक है। अतः अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं संकलित साक्ष्य सामग्री के मध्यनजर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित है।

08. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त हेमसिंह उर्फ हेमा की तरफ से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भानासुसं स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी / अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार 50000 हजार रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी राशि का एक प्रतिभू का मुचलका अग्रलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जाये–

(i) प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान नियमित रूप से न्यायालय में हाजिर होता रहेगा,

(ii) प्रार्थी / अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध, जिसको करने का अभियोग या सन्देह है, या अन्य कोई अपराध नहीं करेगा,

(iii) प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिय मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा या नष्ट नहीं करेगा।

(iv) प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा व अपने निवास स्थान के पते में स्थाई या अस्थाई परिवर्तन होने पर परिवर्तन से पांच दिन के भीतर इस न्यायालय को सूचित करेगा।

(पूना राम गोदारा)
अपर सेशन न्यायाधीश, देसूरी, जिला पाली

09. आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूना राम गोदारा)
अपर सेशन न्यायाधीश, देसूरी, जिला पाली